डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/800/2026 दिनांक : 15 /01/2026

नोटिस–2

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक,
शान्ती देवी महाविद्यालय,
मैनपुरी। (कॉलेज कोड–327)

विषयः– महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस (द्वितीय)।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र/नोटिस सख्या सम्ब0/783/2026 दिनांक 07.01.2026 प्रेषित करते हुए दिनांक 09.01.2026 तक भूमि सम्बन्धी तथ्यों के सम्बन्ध में समस्त प्रमाणित अभिलेखों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था के क्रम में सचिव/प्रबन्धक द्वारा दिनांक 08.01.2026 का प्रस्तुत स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस में **"पत्रावली में सम्यक् अध्ययन एवं उपजिलाधिकारी, मैनपुरी की आख्या से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा गाटा संख्या 860 के 0.729 है0 रकवे पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुए अवैधानिक रूप से हेराफेरा कर मान्यता प्राप्त की गयी है जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है"** के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिस कारण महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक व अस्वीकार्य है।

उक्त के क्रम में महाविद्यालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, महाविद्यालय सचिव/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.01.2025 तक स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समस्त सम्बन्धित अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना स्पष्ट एवं सुसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है, तथा प्रकरण में अनापत्ति/मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार शासन को संस्तुति सहित प्रचलित कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय,

14/01/2026

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. सम्बन्धित एजेंसी को महाविद्यालय की लॉगिन में अपलोड सुनिश्चित कराने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett